न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

प्रा0प0 सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/114	22.06.2023	18.12.2024

1. सुनीता पत्नि रामचरण जाति जाट निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

––प्रार्थी

बनाम,

1. कमला पत्नि सरदार जाति जाट
2. किरोडी पुत्र रामस्वरूप जाति जाट
3. प्रेमचन्द पुत्र सरदार जाति जाट
4. लल्लू पुत्र रामस्वरूप जाति जाट
5. विक्रम पुत्र सरदार जाति जाट
6. किस्तूरी पत्नि स्व0 उमराव जाति जाट
7. फूलसिंह पुत्र स्व0 उमराव जाति जाट
8. राजाराम पुत्र स्व0 उमराव जाति जाट
9. सोहनलाल पुत्र स्व0 उमराव जाति जाट
10 पन्नालाल पुत्र लक्ष्मण जाति ब्राहमण
11. रामकिशन पुत्र जंगली जाति जाट
12. घीसडू पुत्र रामचन्दर जाति जाट
13. धन्नी पत्नि रामचन्दर जाति जाट
14. धप्पो पत्नि स्व0 रत्तीराम जाति जाट
15. बाबूलाल पुत्र रामचन्दर जाति जाट
16. रतिराम पुत्र मुरली जाति जाट
17. रामजीवन पुत्र रामचन्दर जाति जाट निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर किया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 0.2200 है0 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मालाखेडा में सरकारी सडक जो कि तरफ उत्तर को खसरा नम्बर 235 व 206 के मध्य स्थित है, तक आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.4000 है0, 235 रकबा 0.5200 है0, 242 रकबा 0.47 है0, 243 रकबा 0.1600 है0 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर की तरफ पश्चिमी डोल पर दक्षिण से उत्तर

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा जिला अलवर राज0

तक 12 फुट चौडा कच्चा मार्ग (रास्ता) दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकन कराया जावे। एवं अप्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी के अवागमन एवं कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि ले जाने में कोई रूकावट एवं बाधा उत्पन्न नही करें। प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुये प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण मे अप्रार्थीगण 2, 13 व 15 देहान्त हो चुका है। मृतक अप्रार्थीगण 2, 13 व 15 वारिसान को अप्रार्थीगण की जगह रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को फौत हुये लगभग 5–6 साल से भी अधिक समय हो चुका हैं जिससे प्रार्थना पत्र 251 ए अबट हो चुका है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 देरी से पेश किया है। प्रार्थना पत्र 251 ए स्वतः ही अबेट हो चुका है क्योंकि कानूनन मृतक के 90 दिनों के अन्दर प्रार्थना पत्र वारिसानो को नम्बर पर लेने के लिये पेश करना आवश्यक हैं। अप्रार्थी संख्या 2, 13 व 15 को मृतक हुये करीब 5–6 वर्ष से अधिक हो गये है जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व से ही थी लेकिन प्रार्थी ने बदयान्ति पूर्वक व न्यायालय को गुमराह करने के लिये मरे हुये व्यक्तियों के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 के साथ जो वाद/प्रार्थना पत्र स्वतः ही अबेट हो चुका है उस अबेटमेन्ट को निरस्त करने के लिये ना तो प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे प्रार्थना की है ना ही कोई अबेटमेन्ट निरस्त का ही प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा ना ही प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम को कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे की मियादी को कंडोन किया जा सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 खारिज कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए अबेटमेन्ट हो जाने के कारण खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अबेटमेन्ट पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2, 13 व 15 के देहान्त होने की सूचना प्राप्त होते ही उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के लिये प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 प्रस्तुत कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा भी पक्षकारान की मृत्यु की दिनांक का उल्लेख नही किया है। प्रार्थना पत्र अबेट नही किया जा सकता है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी को पक्षकार संख्या 2, 13 व 15 की मृत्यु होने के उपरान्त 90 दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था। किन्तु उक्त पक्षकार 5–6 वर्ष पूर्व ही फौत हो चुके है। प्रार्थी द्वारा मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र लेकर आये है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम का भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र स्वतः ही अबेट हो चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता एक या एक से अधिक अप्रार्थीगण की मृत्यु होने की दशा मे प्रक्रिया उप नियम 4 (3) विधि द्वारा जहा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नही दिया जाता है वहा वाद का जहा तक मृत प्रतिवादी के विरूद्ध है, अबेट हो जायेगा। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के साथ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम 1963 पेश नही किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 2909–2913 सन् 2005, The Lanka Venkateshwarlu vs A.P. Others मे माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि:–

"The law of limitation is substance law and has definite consequences on the right and obligations of party to arise.The principles should be adhered to and applied appropriately depending on the facts and circumstances of a given case.Once a valuable right has accrued in favour of one party as a result of the failure of the other party to explain the delay by showing sufficient cause and its own conduct , it will be unreasonable to take away that right on the mere asking of the applicant, particularly when the delay is directly a result of negligence , default or inaction of that party. Justice must be done to both parties equally. Then alone the ends of justice can be achieved. If a party has been thoroughly negligent its rights and remedies,it will be equally unfair to deprive the other party of a valuable right that has accrued to it in law as a result of his acting vigilantly."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 7396–97 सन् 2003 उनवान मिठाई लाल दालसंगर सिंह बनाम अन्ना बाई रेवराम कीनी व अन्य मे आदेशित किया गया है कि

"The court has to adopt a justice oriented approach dictated by the uppermost consideration that ordinarily a litigant ought not to be denied an opportunity of having a lis determined on merits unless he has, by gross negligence,deliberate inaction or something akin to misconduct ,disentitled himself from seeking the indulgence of the court."

अप्रार्थी संख्या 2, 13 व 15 का देहान्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो गया था। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 मे विर्निदिष्ठ अवधि का पालन नही किया गया है और मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील प्रार्थी द्वारा विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर मरम्मत सवाल पेश नही किये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 अबेट हो जाने पर खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

यह निर्णय आंज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०